

## Information Sought :-

- 1 मारत सरकार के अधीन कार्रत केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत GEM Portal के हायर की गई साथ ही सरकारी को यह साम अधिकारी महोदय का designations हायर की गई एवं सरकारी गाड़ी का उपयोग कर सकते हैं । -जैसे सहायक आयुक्त , उपायुक्त , ज्वाइन्ट कमीशनर, एडिसनल कमीशनर यताने का कष्ट करे ।
- 2 जो अधिकारी/ कर्मचारी ट्रान्सपोर्ट एलाउन्स का साम ले रहे, तो सरकारी Hired Vehicle का लाभ ले सकते हैं । इस सम्बन्ध मे भारत सरकार के आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करवाने का कष्ट करे ।
- 3 किसी भारत सरकार के अधीन कार्यालय से कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी या हायर वाहन का दूरुपयोग होने की दशा मे लगाने वाले CCS Conduct Rule की जानकारी की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।
- 4 किसी भारत सरकार के अधीन कार्यालय मे कार्यरत किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सरकारी वाहन या हायर वाहन का उपयोग करता है सो Misuse conduct की श्रेणी मे आता है । इस सम्बन्ध मे जानकारी की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।
- 5 किसी अधिकारी / कर्मचारी के खिलाफ कोई जांच प्रक्रिया विघाराई है, तो इस रिति मे Vigilience Clearance मे आने वाले नियम की जानकारी एवं नियम की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।
- 6 किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को Vigilence Clearance नहीं होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचार के Promotions पे पाने वाले प्रमाण की जानकारी एवं नियम की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।
- 7 Steno Grade-I, Steno Grade-II, की भर्ती भारत सरकार के अधीनस्थ कार्यालयो जैसे CBIC/CBDT/AG-OFFICE/दिवानी-न्यायालय एवं माननीय हाईकोर्ट मे भर्ती किये जाने के कार्य के बारे मे जानकारी एवं छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।
- 8 केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर भुख्य आयुक्त/प्रधान कार्यालय दिल्ली से यह यताने का कष्ट करे कि Steno Grade-I, Steno Grade-II की भर्ती भारत सरकार द्वारा किस कार्य के लिए किये जाते हैं । इसका नियम एवं करने वाले कार्य के सम्बन्ध मे छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।
- 9 CGHS STATION पे कार्यरत रहने के बाद किसी अधिकारी/ कर्मचारी का स्थानान्तरण NON-CGHS STATION पर हो जाता है , तो अधिकातम कितामे माह तक NON-CGHS STATION पर सूचिया लिया जा सकता है । भारत सरकार के आदेश एवं निर्देश की छायाप्रति संलग्न करने का कष्ट करे ।

## Information Provided :-

Point 1 to 4 :- Does not pertain to this office.

Point 5 :- In this regard, the information is available for General Public on the website of the Department of Personnel and Training(DoPT) <https://doptcirculars.nic.in/OM/ViewOMNew.aspx?id=522&headid=4>

Point 6 :- The promotion of Government servants who are facing disciplinary or court proceedings are governed by the provisions of DoPT's OM No. 22011/4/91-Estt(A) dated 14.09.1992 in CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur, which are available in public domain.

Point 7 :- In this zone, Steno Grade-I and Grade-II are recruited as per the relevant Recruitment Rules prescribed for the respective posts, which are also available in the public domain.

Point 8 and 9 :- Does not pertain to this office.